



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक:- 17.01.2026

विषय:- थाना आदमपुर पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त, 01 अवैध तमन्चा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों/ अवैध असलहा के विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त ज़ोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त ज़ोन काशी के पर्यवेक्षण में, श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली व प्रभारी निरीक्षक थाना आदमपुर के कुशल नेतृत्व में थाना आदमपुर पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त मोहम्मद रफत हुसैन उर्फ सोनू पुत्र मौलाना असगर अली उर्फ मास्टर निवासी ए35/74-1-XN जलालीपुरा थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी उम्र 20 वर्ष को राजघाट पिकेट से काशी स्टेशन ढलान की ओर थाना आदमपुर से दिनांक - 17.01.2026 को 01 अवैध तमन्चा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण:- दिनांक – 17/01/2026 को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति तमन्चा लेकर अपनी टेम्पू से काशी स्टेशन (निर्माणाधीन) ढलान से राजघाट की ओर आने के लिए खड़ा है। पुलिस बल द्वारा एक बारगी दबिश देकर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया, नाम व पता पूछने पर अपना नाम मो0 रफत हुसैन उर्फ सोनू पुत्र मौलाना असगर अली उर्फ मास्टर नि0-ए 35/74-1-XN जलालीपुरा थाना जैतपुरा कमि0 वाराणसी उम्र 20 वर्ष बताया जामा तलाशी ली गई तो पहने पेंट के बायी जेब से 01 तमन्चा .315 बोर व दाहिनी जेब से 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर (8MM) बरामद हुआ। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना आदमपुर पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना आदमपुर पर मु0अ0स0--0020/2026 धारा 3/25 आर्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण:- मु0अ0स0--0020/2026 धारा 3/25 आर्स एक्ट थाना आदमपुर, कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- -मोहम्मद रफत हुसैन उर्फ सोनू पुत्र मौलाना असगर अली उर्फ मास्टर निवासी ए35/74-1-XN जलालीपुरा थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी उम्र 20 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान - दिनांक-17.01.2026 को, स्थान- राजघाट पिकेट से काशी स्टेशन ढलान की ओर थाना आदमपुर से।

बरामदगी का विवरण:- तमन्चा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व आटो रजिस्ट्रेशन नं-UP65DT1292 धारा- 207 MV ACT में सीज।

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	थाना	मु0अ0स0	धारा
01.	आदमपुर	020/2026	धारा 3/25 आर्स एक्ट
02.	आदमपुर	06/2020	323, 504, 506 भादवि

03.	आदमपुर	079/2021	379
04.	आदमपुर	100/2021	411, 413, 414
05.	आदमपुर	102/2021	25 आयुध अधिनियम, 1959
06.	आदमपुर	121/2021	3(1) उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण :-

1. श्री विमल कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
2. उ०नि० अंकित कुमार राय थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
3. उ०नि०प्र० आशुतोष कुमार सिंह थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
4. है०का० नरेन्द्र कुमार यादव थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।

**सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी**